प्रेस विज्ञप्ति
(दि0–21.10.2020)

तरियानी छपरा थाना अन्तर्गत कुण्डल गॉव में एक नाबालिग बच्ची (उम्र करीब 10–11 वर्ष) के साथ बलात्कार कर हत्या कर देने की घटित घटना का हुआ उद्भेदन, अपराधी गिरफ्तार।

दिनांक–19.10.2020 को सुबह 09:30 बजे तरियानी छपरा थाना के ग्राम कुण्डल स्थित बाँध के पास बाँसबट्‌टी में एक 11 वर्षीय लड़की का शव पाया गया। शव नग्न अवस्था में था तथा प्रथम दृष्टया उक्त शव को देखने से प्रतीत हुआ कि उक्त लड़की के साथ बलात्कार कर हत्या कर दी गई है तथा साक्ष्य को नष्ट करने के उद्देश्य से शव को बाँध के नीचे बाँस बट्‌टी में छिपा दिया गया है। ग्रामीणों के द्वारा इस संबंध में तरियानी छपरा थाना को सूचित करते हुए बताया गया कि दिनांक–18/19.10.2020 की रात्रि से ग्राम कुंडल से उक्त लड़की (उम्र 10–11 वर्ष) गायब थी तथा रात्रि को अपने घर नहीं लौटी थी। स्थानीय ग्रामीणों एवं उक्त बालिका के परिजन के द्वारा उसका खोजबीन रात्रि में भी किया गया था तथा इस कम में दिनांक–19.10.2020 को प्रातः करीब 9–10 बजे बाँध के किनारे उसका शव मिला। इस घटना के संबंध में मृतिका के पिता के बयान पर तरियानी छपरा थाना कांड सं0–65/20, दिनांक–19.10.2020, धारा–376(ए)(बी)/302/201 भा0द0वि0 एवं धारा–4/6 पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत कांड दर्ज किया गया।

इस जघन्य घटना के उद्भेदन हेतु श्री संतोष कुमार, पुलिस अधीक्षक, शिवहर के नेतृत्व में S.I.T का गठन किया गया, जिसमें श्री राकेश कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, शिवहर, पु0नि0 शोभाकांत पासवान, थानाध्यक्ष, तरियानी थाना, पु0नि0 अशोक कुमार राय, प्रभारी तकनीकी शाखा, शिवहर, पु0अ0नि0 सैफ अहमद खॉ, थानाध्यक्ष, तरियानी छपरा थाना, पु0अ0नि0 अवधेश कुमार, थानाध्यक्ष, पिपराही थाना, पु0अ0नि0 विजय कुमार यादव, थानाध्यक्ष, श्यामपुर भटहॉ थाना, पु0अ0नि0 मुन्ना कुमार गुप्ता, थानाध्यक्ष, पुरनहिया थाना, पु0अ0नि0 जितेन्द्र महतों, थानाध्यक्ष, अनु0जाति/जनजाति थाना शामिल है।

विशेष अनुसंधान दल के द्वारा वैज्ञानिक एवं पारंपरिक पद्धति से अनुसंधान कर 24 घंटे के अन्दर इस घटना का सफल उद्भेदन करते हुए उक्त बच्ची के साथ बलात्कार कर हत्या करने वाले अभियुक्त रूपेश कुमार पे0 उमेश सहनी, सा0 कुण्डल, थाना तरियानी छपरा, जिला शिवहर को गिरफ्तार किया गया। इस घटना को उक्त स्थानीय युवक के द्वारा अंजाम दिया गया तथा अपना पहचान छिपाने के उद्देश्य से उक्त बच्ची की बलात्कार के पश्चात् हत्या कर दी गई। अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए घटना की विस्तृत जानकारी दी तथा वास्तविक घटनास्थल एवं शव को फेंकने वाले स्थान पर ले जाकर दिखाया भी। अभियुक्त युवक घटना के समय पहने हुए अपने कपड़े के बारे में भी बताया जिसे उसके बयान के आधार पर विधिवत् जप्त किया गया।

ज्ञातव्य हो कि उक्त अभियुक्त रूपेश कुमार मृतिका बच्ची के पिता के टेन्ट के दुकान पर बाजा बजाने में ऑपरेटर/हेल्पर के रूप में काम करता है तथा उसका पड़ोसी एवं गॉव के रिश्ता में मृतिका बच्ची का चचेरा भाई लगता है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संग्रह कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में समर्पित कर स्पीडी ट्रायल के माध्यम से शीघ्र सजा दिलवाई जाएगी।

विशेष अनुसंधान दल के द्वारा अत्यधिक परिश्रम कर लगनशीलता एवं दक्षता का परिचय देते हुए इस कांड का उद्भेदन 24 घंटे के अन्दर किया गया, जो अत्यंत प्रशंसनीय कार्य है। S.I.T में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारियों को पुरस्कृत करने हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।

SUCCESSION BOARD
बिहार पुलिस
SANTOSH KUMAR I.P.S.

बिहार पुलिस
SANTOSH KUMAR I.P.S.